राज्य बजट का अध्ययन व विश्लेषण

बजट समाचार

त्रैमासिक | अंक 48 | अप्रैल - जून 2014 | सीमित प्रसार के लिए

नई सरकार से समावेशी विकास की अपेक्षा

सम्पादकीय

पिछले वर्ष विधान सभा चुनावों के बाद बनी राज्य की भाजपा सरकार ने अभी तक अपनी प्राथमिकताओं को बहुत स्पष्ट नहीं किया है। विधान सभा चुनावों के पूर्व जारी पार्टी के घोषणा पत्र में हर क्षेत्र के लिये लंबे चौड़े वादे किये गये हैं, जिनको पूरा करने की दिशा में कार्य करने का बहुत समय भी राज्य सरकार को नहीं मिला है। नई सरकार के गठन के तुरंत बाद ही लोकसभा के चुनावों के लिये लगे आचार संहिता ने सरकार को कुछ विशेष कर दिखाने को मौका नहीं दिया। परन्तु लोकसभा चुनावों के पूर्व राज्य सरकार ने सभी महत्वपूर्ण विभागों को 60 दिन का कार्यक्रम तय करने तथा उन्हें लागू करने का आदेश दिया था। हांलाकि उन 60 दिवसीय कार्यक्रमों में कुछ विशेष उल्लेखनीय नहीं था और ना ही उनका कितना क्रियान्वयन हो पाया यह स्पष्ट किया गया है, क्योंकि इसके संबध में सूचना कहीं उपलब्ध नहीं है।

अन्तरिम बजट : फरवरी 2014 में राज्य सरकार ने वर्ष 2014–15 के लिये अन्तरिम बजट पेश किया। अपने छोटे से बजट भाषण में भी राज्य की मुख्यमंत्री ने अपनी सरकार की नीति, दिशा तथा प्राथमिकताओं को स्पष्ट नहीं किया। मुख्यमंत्री जी ने बजट भाषण में पिछली सरकार द्वारा पेंशन योजनाओं का विस्तार करने परन्तु उसके अनुरूप बजट आवंटन में वृद्धि नहीं कर सरकार के बजट घाटे को अव्यवहारिक रूप से कम रखने का आरोप लगाया, जो सही भी है। वर्तमान राज्य सरकार ने अपने अंतरिम बजट में पेंशन योजनाओं के लिये आवटंन बढ़ाया भी है।

बजट भाषण में मुख्यमंत्री ने आने वाले 5 वर्षों में सौर उर्जा द्वारा 25,000 मेगावाट बिजली उत्पादन, 20,000 किलो मीटर सड़क जाल बिछाने तथा समस्या ग्रस्त एवं अभी तक पेयजल से वंचित गांवों में पेयजल पहुंचाने को अपनी सरकार की प्राथमिकताएं बताया। साथ ही मुख्यमंत्री ने पूर्ववर्ती भाजपा सरकार द्वारा आरंभ की गई भामाशाह योजना को दोबारा आरंभ करने की घोषणा की। भामाशाह योजना के अंतर्गत 50 लाख गरीब महिलाओं के बैंक खाते खोले जाने की योजना बनाई गई थी।

मुख्यमंत्री ने अपने अंतरिम बजट में सौर उर्जा, सड़क तथा पेयजल पर जोर तो दिया परन्तु अंतरिम बजट के आंकड़ों को देखने से पता लगता है कि सरकार द्वारा सौर उर्जा को छोड़कर अन्य मदों में बजट आवंटन में विशेष वृद्धि नहीं की गई है। (देखिये अंतरिम बजट विश्लेषण पर आलेख)

हालांकि एक अंतरिम बजट से बहुत अधिक अपेक्षा किया जाना उचित नहीं है, फिर भी आशा थी कि राज्य सरकार की आने वाले 5 वर्षों की प्राथमिकताओं तथा विकास की दिशा को इस बजट में स्पष्ट किया जाता। साथ ही यह भी आशा थी कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार द्वारा आंरभ किये गये सामाजिक क्षेत्र योजनाओं की स्थिति आगामी वर्षों में क्या रहेगी इसके भी संकेत दिये जाते।

राज्य आयोजना समिति का गठन

मार्च 2014 में राज्य सरकार ने एक सरकारी आदेश के द्वारा राज्य में नई राज्य आयोजना समिति का गठन किया। राज्य आयोजना समिति राज्य सरकार को सामान्यतः विकास कार्यों पर तथा आयोजना बनाने के लिये आवश्यक सुझाव देती है। 3 मार्च 2014 के सरकारी आदेश के अनुसार राज्य आयोजना समिति राज्य सरकार को राज्य के टिकाऊ, संतुलित तथा संपूर्ण विकास के उपायों पर सुझाव देगी। परन्तु यहां महत्वपूर्ण बात यह है कि पिछली सरकार द्वारा जहां प्रो. विजय शंकर व्यास जैसे राज्य से जुड़े तथा जाने माने अर्थशास्त्री को आयोजना समिति का उपाध्यक्ष बनाया गया था तथा अन्य सदस्य भी राजस्थान से जुड़े वरिष्ठ लोग थे, वहीं वर्तमान आयोजना समिति में राज्य के बाहर के उद्योगपतियों की बहुलता है।

19 सदस्यीय समिति की अध्यक्ष मुख्यमंत्री जी हैं, जबकि फिलहाल उपाध्यक्ष पद पर कोई नहीं है। इस समिति में बड़े उद्योगपति हैं, जिनमें से लगभग सब राज्य के बाहर के हैं। इसके अलावा एक अर्थशास्त्री, राजस्थान से जुड़ी रहीं एक पूर्व प्रशासनिक सेवा की अधिकारी तथा बंग्लुरू की एक गैर सरकारी संस्था से जुड़े दो सामाजिक कार्यकर्ता भी सदस्य हैं।

हालांकि जैसा कि उपर कहा गया है, राज्य सरकार ने अपने अंतरिम बजट में सरकार द्वारा आगामी पांच वर्षो के विकास कार्यों के स्वरूप तथा विकास की दिशा के कोई संकेत नहीं दिये हैं। परन्तु नये आयोजना समिति में राज्य के बाहर के बड़े उद्योगपतियों को शामिल करने को क्या राज्य में आने वाले वर्षो में उद्योग आधारित विकास, जिसमें उद्योगों को विशेष प्राथमिकता प्राप्त होगी, का संकेत माना जाये। यदि ऐसा है तो यह चिंताजनक होगा क्योंकि राज्य की आर्थिक समीक्षा 2012–13 के अनुसार पिछले 2 वर्षों में राज्य में आर्थिक वृद्धि की दर कम हुई है तथा कृषि में विकास दर नगण्य रही है। नरेगा के अंतर्गत रोजगार सृजन में भारी कमी आई है तथा जनगणना 2011 के आकंड़ों के अनुसार पूरे देश की तरह राजस्थान में भी किसानों की संख्या कम हुई है तथा कृषि मजदूरों की संख्या बढ़ी है। ऐसे में आवश्यकता कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्रों पर पर्याप्त ध्यान देने की है। साथ ही पिछली सरकार द्वारा चलाई गई विकास योजनाओं को मजबूती से लागू किया जाना भी जरूरी है। आशा है कि जून में पेश होने वाले पूर्ण बजट में सरकार इन क्षेत्रों के लिए स्पष्ट घोषणाऐं करने के साथ–साथ समावेशी तथा सामाजिक एवं मानव विकास पर ज़ोर देने वाले नीतियों तथा कार्यक्रमों को प्राथमिकता देगी। नीतिगत स्तर पर राज्य सरकार से यह अपेक्षा है कि केन्द्र सरकार द्वारा पारित दो महत्त्वपूर्ण कानूनों खाद्य सुरक्षा कानून तथा भूमि अधिग्रहण एवं मुआवजा कानून के प्रभावी क्रियान्वयन की दिशा में जल्दी ही आगे बढ़ेगी।

बजट 2014–15 में अनुसूचित जाति एवं जनजाति उपयोजना

राजस्थान सरकार द्वारा वर्ष 2014–15 हेतु अपने अंतरिम बजट में इस वर्ष भी अनुसूचित जाति एवं जनजाति उपयोजनाओं हेतु मानदंड से बहुत कम बजट आवंटित किया गया है। राज्य के कुल योजनागत बजट में अनुसूचित जाति उपयोजना हेतु करीब 10.9 प्रतिशत एवं जनजाति उपयोजना हेतु 9.4 प्रतिशत राशि आवंटित की गयी है। गौरतलब है कि देश में आदिवासियों एवं दलितों के समग्र विकास हेतु वर्ष 1974–75 में जनजाति उपयोजना एवं 1979 में अनुसूचित जाति उपयोजना की (जिसको 2007 से पहले विशेष संघटक योजना के नाम से जाना जाता था) रणनीति अपनाई गई। जिसके अनुसार केन्द्र सरकार एवं प्रत्येक राज्य सरकार को अपने आयोजना बजट का आदिवासी एवं दलित आबादी के अनुपात में क्रमशः जनजाति उपयोजना एवं अनुसूचित जाति उपयोजना के तहत आवंटित कर इन वर्गो के विकास हेतु व्यय करना चाहिये। इन उपयोजनाओं को कानूनी रुप देने की मांग भी हो रही है तथा राजस्थान एवं केन्द्र सरकार ने इस आशय का एक ड्राफ्ट विधेयक भी बना रखा है।

शेष पृष्ठ 4 पर...

अंतरिम बजट 2014–15 : एक विश्लेषण

राज्य बजट 2014–15 : एक नजर में

- कुल प्राप्तियां : 1,13,354.98 करोड़ रु.
- कुल व्यय : 1,12,955.06 करोड़ रु.
- शुद्ध उधार : 16,754.67 करोड़ रु.
- ब्याज अदायगी : 10,362.70 करोड़ रु.
- बजटीय आधिक्य : 399.92 करोड़ रु.
- राजस्व आधिक्य : 731.75 करोड़ रु.
- राजकोषिय घाटा : 16,354.76 करोड़ रु.

राज्य की नयी सरकार की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने 19 फरवरी, 2014 को राज्य के आगामी वर्ष 2014–15 हेतु अंतरिम बजट पेश किया। जानकारों के अनुसार पेश किया गया बजट आगामी लोकसभा चुनावों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। हालांकि सरकार का यह अंतरिम बजट है जिसमें सरकार ने करीब 1,13,354.98 करोड़ रु. की आय होना अनुमानित किया है। जबकि 1,12,955.06 करोड़ रु. खर्च किये जाने का अनुमान किया है, इस लिहाज से यह बजट लगभग 399.9 करोड़ रू. का सरप्लस बजट है। प्रस्तुत आलेख में आगामी वर्ष में सरकार की आय एवं व्यय का विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है साथ ही मुख्य सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रों का बजट आवंटन एवं व्यय दर्शाया गया है ।

राज्य की आयः राज्य सरकार की आय मुख्यतः दो मदों राजस्व एवं पूंजीगत मदों के अंतर्गत होती है।

राजस्व आय : सरकार की राजस्व आय में राज्य के स्वयं के कर, केन्द्रीय करों में हिस्से से प्राप्त राशि एवं राजस्व के रुप में प्राप्त अन्य राशि शामिल होती है। राज्य की कुल आय में करीब 80 प्रतिशत राशि राजस्व स्रोतों से प्राप्त होती है। राज्य सरकार ने वर्ष 2014–15 हेतु तकरीबन 91,484 करोड़ रु. की राजस्व आय होना अनुमानित किया है, जो पिछले वर्ष के संशोधित बजट की तुलना में करीब 18 प्रतिशत अधिक है। जिसमें कुल राजस्व आय की करीब 70 प्रतिशत राशि करों (राज्य एवं केन्द्रीय मिलाकर) से एवं 30 प्रतिशत राशि गैर कर स्रोतों (सहायतार्थ अनुदान एवं अन्य) से प्राप्त होगी। अतः सरकार की राजस्व आय में अधिकांश हिस्सा करों से प्राप्त राशि का है।

पूंजीगत आय : सरकार की पूंजीगत आय मुख्यतः लोक ऋण, उधार एवं अग्रिम तथा लोक खाते की प्राप्तियों से होती हैं। सरकार ने आगामी वर्ष में करीब 21,871 करोड़ रु. की पूंजीगत आय होना अनुमानित किया है जो गत वर्ष के संशोधित बजट में करीब 22,596 करोड़ रु. थी। अतः इस वर्ष पूंजीगत प्राप्तियों में गत वर्ष के संशोधित बजट की तुलना में 3.2 प्रतिशत की कमी होने का अनुमान है।

सारणी 1 : विगत 5 वर्षों के राज्य बजट के आंकड़े

(राशि– करोड़ रु. में)

मद / वर्ष	2010–11	2011–12	2012–13	2013–14 संशोधित	2014–15 प्रस्तावित
राज्य की आय					
केन्द्रीय करों में हिस्से से प्राप्त राशि	12,855.65	14,977.11	17,102.85	19,155.19	23,415.04
राज्य के स्वयं के करों से प्राप्त राशि	20,758.10	25,376.98	30,502.65	34,452.41	40,644.96
राजस्व के रुप में प्राप्त अन्य राशि	33,613.75	40,354.10	47,605.50	53,607.60	64,060.00
कुल राजस्व प्राप्ति (कर + अन्य)	45,928.19	57,010.76	66,913.01	77,280.94	91,483.98
कुल पूंजीगत प्राप्तियां (ऋण, अल्प बचत आदि से)	8,322.09	8,423.10	14,272.67	22,596.36	21,871.00
कुल आय प्राप्ति (राजस्व + पूंजीगत)	54,250.28	65,433.87	81,185.68	99,877.30	1,13,354.98
राज्य का व्यय					
गैर आयोजना व्यय	39,530.86	44,802.59	54,104.64	64,980.93	73,579.77
आयोजना व्यय	12,059.05	18,312.48	24,613.72	31,954.32	35,055.59
केन्द्र प्रवर्तित आयोजना व्यय	2,113.40	2,257.02	2,545.55	3,113.68	4,319.70
कुल व्यय	53,703.32	65,372.08	81,263.91	100,348.93	1,12,955.06
राज्य द्वारा लिया शुद्व उधार एवं ब्याज अदायगी					
लिया गया शुद्ध उधार	4,673.02	3,687.65	8,456.28	17,829.65	16,754.67
चुकाया गया ब्याज	7,369.00	7,891.82	8,340.05	9,151.72	10,362.70
राज्य के घाटे					
राजस्व घाटा	1,054.84	3,357.45	3,451.22	–2,505.15	731.75
बजटीय घाटा	546.96	61.79	–78.23	–471.63	399.92
राजकोषिय घाटा	–4,126.06	–3,625.86	–8,534.50	–18,301.28	–16,354.76
प्राथमिक घाटा	3,242.94	4,265.96	–1,94.45	–9,149.55	–5,992.06

स्रोत : बजट पुस्तिका, वित्त विभाग, अंतरित बजट, 2014–15

नोट : घाटे के अंतर्गत ऋणात्मक राशि से अभिप्राय घाटा एवं धनात्मक राशि से अभिप्राय आधिक्य या सरप्लस है।

राज्य सरकार का व्यय :

जैसा कि उल्लेखित किया गया है कि राज्य सरकार ने आगामी वर्ष में करीब 1,12,955.06 करोड़ रु. व्यय होना अनुमानित किया है। जिसमें करीब 65 प्रतिशत राशि गैर आयोजना मद में व्यय होना अनुमानित है जबकि आयोजना एवं केन्द्र प्रवर्तित योजना मद के अन्तर्गत कुल प्रस्तावित बजट की क्रमशः 31 एवं 4 प्रतिशत राशि व्यय होना अनुमानित है। अतः बजट की अधिकांश राशि गैर योजनागत मदों में व्यय होगी।

राजस्व घाटा : राजस्व प्राप्तियां – राजस्व व्यय
बजटीय घाटा : कुल प्राप्तियां – कुल व्यय
राजकोषिय घाटा : बजटीय घाटा + उधार एवं अन्य देयताएं
प्राथमिक घाटा : राजकोषिय घाटा –ब्याज अदायगी

सरकार के बजट घाटे एवं आधिक्य :

उपरोक्त आंकड़ों के आधार पर सरकार को आगामी वर्ष में करीब 399 करोड़ रू. का बजट आधिक्य

शेष पृष्ठ 2 पर ...

पंचायतों का राज्य बजट में हिस्सा

राजस्थान सरकार द्वारा वर्तमान वर्ष 2014–15 में कुल राज्य बजट 1,12955.06 करोड़ में से 18.21 प्रतिशत लगभग 20,567.58 करोड रूपए की राशि का आवंटन पचांयतों को किया जाना प्रस्तावित है यह आवंटित राशि तीनों स्तरों की पंचायतों को देय होगी।

वर्तमान वर्ष 2014–15 में राज्य बजट से पंचायती राज संस्थाओं को जो बजट राशि आवंटित की जा रही है। उसकी सूचना राज्य सरकार द्वारा बजट पुस्तिका आय व्यय अनुमान – खण्ड 4 ब के माध्यम से दी गई है जिसमें जिला परिषद, ब्लॉक पंचायत तथा ग्राम पंचायत को देय राशि की जिलेवार सूचना उपलब्ध करवाई गई है इसके अतिरिक्त तीनों स्तरों की पंचायतों को विशिष्ट मद में देय राशि की सूचना भी जिलेवार विवरण के रूप में उपलब्ध करवाई गई है।

पिछले वर्षों एवं 2014–15 में राज्य बजट से पंचायतो को आवंटन राशि करोड में

क्र.सं.	वर्ष	राज्य का कुल बजट	पंचायती राज	प्रतिशत
1	2011–12 वास्तविक	65,372.08	11,614.95	17.77%
2	2012–13 अनुमानित	86,512.80	13,209.01	15.27%
3	2013–14 अनुमानित	94,871.95	15,289.65	16.12%
3	2014–15 अनुमानित	1,12,955.06	20,567.58	18.21%

स्रोत– बजट पुस्तकों के आधार पर

उपरोक्त सारणी के अध्ययन से राज्य बजट से पंचायतों को पिछले 4 वर्षों में राशि आवंटन को समझा जा सकता है। वर्ष 2011–12 से वर्तमान वर्ष 2014–15 तक राज्य बजट से पंचायतों को कुल 15 से 18 प्रतिशत के बीच राशि का आवंटन किया गया है।

सारणी से स्पष्ट है कि वर्ष 2011–12 में पंचायतों को कुल राज्य बजट की 17.77 प्रतिशत लगभग 11,614.95 करोड़ की राशि का आवंटन किया गया था। वर्ष 2012–13 में पंचायतों को राज्य बजट से 15.27 प्रतिशत लगभग 13,209.01 करोड़ रू. की राशि का आवंटन किया जाना तय किया गया। वर्ष 2013–14 में पंचायतों को राज्य बजट से कुल 16.12 प्रतिशत लगभग 15,289.65 करोड रू. की राशि का आवंटन किया गया तथा वर्तमान वर्ष 2014–15 में पंचायतों को राज्य बजट से 18.21 प्रतिशत लगभग 20,567.58 करोड रू. की राशि का आवंटन किया जाना तय किया गया है। लेकिन जैसा कि उपर बताया गया है कि सरकार ने यह केवल अंतरिम बजट पारित किया है इसलिये संभव है कि 4 माह बाद राज्य सरकार जब पूर्ण बजट पारित करेगी तब इस आवंटन में बदलाव किया जाये।

राज्य सरकार द्वारा पंचायतों को राशि आवंटन के लिए तथा उसकी जानकारी देने के लिए कुछ मुख्य, उपमुख्य तथा लघु शीर्ष निर्धारित किए गए हैं। जिनके अंतर्गत पंचायतों को राशि आंवटन किया गया है। इस लेख में पंचायतों को आवंटित राशि की लघु शीर्षवार जानकारी देने का प्रयास किया गया है।

पंचायतों को राशि आवंटन का शीर्षवार विवरण राशि करोड़ में

क्र.सं.	लघु शीर्ष	पंचायत / विषय	राशि
1	**196**	जिला परिषद	**5,204.75**
2	**197**	ब्लॉक पंचायत	**10,309.47**
3	**198**	ग्राम पंचायत	**3,281.98**
4	**001**	प्रशासन एवं निदेशन	**51.50**
5	**101**	डांग क्षेत्र विकास	**654.94**
6	**102**	मेवात क्षेत्र का विकास	**59.67**
7	**103**	ग्राम विकास	**34.33**
8	**104**	डी.आर.डी.ए. प्रशासन	**6.94**
9	**105**	क्षतिपूर्ति	**3.95**
10	**190**	सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपकमों में निवेश	**66.00**
11	**789**	अनुसूचित जातियों के लिये विशिष्ट संघटक	**227.43**
12	**796**	जनजातीय क्षेत्र उपयोजना	**173.50**
13	**800**	अन्य व्यय	**493.11**
		कुल	**20,567.58**

स्रोत – बजट पुस्तकों के आधार पर

वर्तमान वर्ष में पंचायतों को कुल तेरह लघु शीर्षों के अंतर्गत राशि आवंटन किया गया है। जिसमें जिला परिषद, ब्लॉक पंचायत तथा ग्राम पंचायत को लघु शीर्ष 196, 197 एवं 198 के माध्यम राशि आवंटन किया गया है। इसके अतिरिक्त 10 लघु शीर्षों के माध्यम से पंचायतों को विशिष्ट मद की राशि का आवंटन किया गया है लेकिन विशिष्ट मद में किस लघु शीर्ष की राशि किस स्तर की पंचायत को आवंटित की गई है इसको बजट विवरण में कहीं स्पष्ट नहीं किया गया है।

2014–15 में राज्य बजट से पंचायतों की तुलनात्मक स्थिति

राशि करोड़ में

क्र.सं.	बजट मद	राज्य बजट	पंचायतों को देय	प्रतिशत
1	आयोजना भिन्न	73,579.77	13,012.60	17.69 %
2	आयोजना मद	35,055.59	6,105.82	17.42 %
3	केन्द्र प्रायो. योजना	4,319.70	1,449.16	33.55 %
4	राज्य का कुल व्यय	1,12,955.06	20,567.58	18.21 %

स्रोत – विभाग के वार्षिक प्रतिवेदन, बजट पुस्तकों के आधार पर

उपरोक्त सारणी के अध्ययन से राज्य बजट में पंचायतों की स्थिति को समझा जा सकता हैं। वर्तमान वर्ष 2014–15 में राज्य का कुल खर्च 112955.06 करोड रू. अनुमानित है जिसमें से पचांयतों को 18.21 प्रतिशत लगभग 20567.58 करोड़ रू. व्यय हेतु आवंटित किये जाने हैं। चालू वर्ष में पंचायतों को आयोजना भिन्न मद में कुल 13012.60 करोड़ रू. का आवंटन किया जाना है जो कि राज्य के कुल आयोजना भिन्न बजट का 17.69 प्रतिशत है। आयोजना मद में पंचायतों को कुल 6105.82 करोड़ की राशि का आवंटन किया जाना प्रस्तावित है जो राज्य के कुल आयोजना बजट का 17.42 प्रतिशत है। केन्द्र प्रायोजित योजना मद में पंचायतों को कुल 1449.16 करोड़ रू. की राशि का आवंटन होना है यह आवंटित राशि राज्य के कुल केन्द्र प्रायोजित योजना मद का 33.55 प्रतिशत है।

उक्त सारणी के अध्ययन से स्पष्ट है कि वर्तमान वर्ष 2014–15 में पंचायतों को कुल 20567.58

वर्ष 2014–15 में पंचायतों को हस्तांतरित राशि राशि करोड़ में

क्र.सं.	पंचायत संस्थाएं	आयोजना भिन्न	आयोजना	के.प्रा.यो.	कुल	प्रतिशत
1	जिला परिषद	3,369.01	1,756.92	78.81	5,204.75	25.31 %
2	ब्लॉक पंचायत	8,608.23	945.37	755.87	10,309.47	50.12 %
3	ग्राम पंचायत	1,026.37	1,659.51	596.10	3,281.98	15.96 %
4	विशिष्ट मद	8.99	1,744.02	18.38	1,771.39	8.61 %
	योग	13,012.60	6,105.82	1,449.16	20,567.58	100 %

स्रोत – बजट पुस्तकों के आधार पर

करोड़ रूपए व्यय हेतू प्रस्तावित किए गए। पंचायतों को देय कुल राशि में से 25.31 प्रतिशत, लगभग 5204.75 करोड़ रूपए जिला परिषदों को देय है। पंचायत निकायों को आवंटित कुल राशि में से सर्वाधिक 50.12 प्रतिशत, लगभग 10309.47 करोड़ रूपए ब्लॉक पंचायतों को आवंटित किए गए हैं। ग्राम पंचायतों को

शेष पृष्ठ 4 पर...

पृष्ठ 1 का शेष – अंतरिम बजट 2014–15 : एक विश्लेषण

(कुल आय तथा व्यय का अन्तर) एवं करीब 731.75 करोड़ रू. के राजस्व आधिक्य (राजस्व आय तथा राजस्व व्यय का अन्तर) का अनुमान है। इस वर्ष सरकार ने करीब 16,354 करोड़ रू. का राजकोषिय घाटा (सरकार द्वारा लिये गये कर्ज को निकालने के बाद होने वाला घाटा) अनुमानित किया है।

सरकार के बजट घाटे एवं आधिक्य के आंकड़ों पर गौर करें तो गत वर्ष 2013–14 के प्रस्तावित बजट में सरकार ने करीब 336 करोड़ रू. का बजट आधिक्य एवं करीब 1025 करोड़ रू. के राजस्व आधिक्य का बजट पेश किया था। जबकि इसके विपरित इस वर्ष पेश किये गये बजट में विगत वर्ष हेतु संशोधित बजट में करीब 471 करोड़ रू. का बजट घाटा एवं करीब 2505 करोड़ रू. के राजस्व घाटा होना बताया जा रहा है। इसी प्रकार सरकार ने गत वर्ष करीब 13,019 करोड़ रू. का राजकोषिय घाटा अनुमानित किया था जो संशोधित अनुमानों में बढकर करीब 18,301 करोड़ रू. हो गया है।

राज्य की वर्तमान सरकार पूर्व सरकार पर बजट में ऋुटिपूर्ण रवैये को अपनाने का आरोप लगा रही है। तथा इसकी मुख्य वजह पूर्व सरकार द्वारा शुरु की गयी सामाजिक पेंशन योजनाओं के बजट में लक्ष्य से बहुत कम बजट आवंटन करना बता रही है। 2014–15 के बजट भाषण में सरकार बता रही है कि पेंशन योजनाओं हेतु गत सरकार ने उस समय मात्र 710 करोड़ रू. का बजट रखा था जबकि बजट भाषण में कहा था कि इस पर कुल 1,500 करोड़ रू. का अतिरिक्त भार आयेगा। जबकि वास्तव में इन पर करीब 2,540 करोड़ रु. का व्यय होना है। जिसके परिणामस्वरुप सरकार का घाटा संशोधित अनुमानों में प्रस्तावित बजट की तुलना में बहुत अधिक है। अतः इससे स्पष्ट होता है कि सरकारों के बजट अनुमान वास्तविकता से कितने परे एवं अनियमित है।

सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रों का बजट एवं व्यय :

सारणी 2 : सरकार के बजट एवं व्यय का मुख्य क्षेत्रवार विवरण (राशि– करोड़ रु. में)

क्षेत्र / वर्ष	2010–11	2011–12	2012–13	2013–14 प्रस्तावित	2013–14 संशोधित	2014–15 प्रस्तावित
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2561.59	3367.31	3891.64	5028.45	5297.86	6035.176
शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति	10236.21	11664	13072.7	16403.05	16777.23	19905.94
जलापूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास	4188.00	4768.88	6427.58	8586.96	8937.43	9527.44
अनुसूचित जातियों, जन जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	726.83	822.76	1042.56	1346.57	1408.65	1577.4
श्रमिक तथा श्रमिक कल्याण	101.89	113.27	344.43	319.19	317.13	385.48
सामाजिक कल्याण तथा पोषण	1842.59	3105.01	3229.23	3755.93	6057.23	6495.87
कृषि तथा सम्बद्ध कार्यकलाप	2966.62	2812.29	3384.50	4033.67	4311.39	5449.73
सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण	2027.21	2075.56	2462.83	3189.79	2919.82	3381.18
ऊर्जा	3365.30	5466.22	9477.52	13257.71	17624.07	15116.2
उद्योग तथा खनिज	175.47	243.83	294.45	266.89	421.50	336.76
विज्ञान प्रोद्योगिकी तथा पर्यावरण	22.66	39.58	33.31	50.02	35.29	61.82
ग्राम विकास	2878.05	3867.67	5248.34	5182.31	5779.78	6244.65

स्रोत : बजट पुस्तिका, वित्त विभाग

उपरोक्त सारणी में कुछ मुख्य सामाजिक एवं आर्थिक विषयों के बजट एवं व्यय को दर्शाया गया है। वर्ष 2014–15 के लिये स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण हेतु करीब 6035 करोड़ रू. प्रस्तावित किये हैं, जो कुल बजट व्यय का करीब 5.3 प्रतिशत है। इसी प्रकार शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति हेतु 19905.94 करोड़ रु. का प्रावधान किया है जो कुल बजट व्यय का करीब 17.6 प्रतिशत है जबकि गत वर्ष हेतु संशोधित बजट में यह 16.7 प्रतिशत है। इसी प्रकार श्रमिक तथा श्रमिक कल्याण हेतु करीब 385.48 करोड़ रु. का प्रावधान किया गया है।

इसी प्रकार आर्थिक क्षेत्र के बजट आंकड़ों को देखते हैं तो कृषि तथा सम्बद्ध क्षेत्र, विज्ञान प्रोद्योगिकी तथा पर्यावरण एवं ग्राम विकास में आवंटन बढा है। जबकि उर्जा क्षेत्र के आवंटन में गत वर्ष के संशोधित बजट की तुलना में 2500 करोड़ रु. की कमी की गयी है। इसी प्रकार उद्योग तथा खनिज क्षेत्र का बजट भी गत वर्ष के संशोधित बजट की तुलना में करीब 85 करोड़ रु. कम आवंटित हुआ है।

तीन प्रमुख घोषणाएं तथा उनके लिये आवंटन :

मुख्यमंत्री महोदया ने अपने अंतरिम बजट भाषण में राज्य के लिये तीन मुख्य घोषणाएं की हैं उन्होने आगामी 5 वर्षों में सौर उर्जा द्वारा 25,000 मेगावाट बिजली उत्पादन, 20,000 किलो मीटर सडक जाल बिछाने तथा समस्या ग्रस्त एवं अभी तक पेयजल से वंचित गांवों में पेयजल पहुंचाने को अपनी सरकार की प्रमुख प्राथमिकताएं बताया। मुख्यमंत्री ने अपने अंतरिम बजट में सौर उर्जा, सड़क और पेयजल पर जोर दिया है परंतु बजट आंकड़ों को देखने से पता चलता है कि सरकार द्वारा सौर उर्जा के अलावा अन्य मदों में वृद्वि नहीं की गयी है। सौर उर्जा के लिये सरकार ने वर्ष 2013–14 के 53 लाख रु. के मुकाबले इस वर्ष 9.32 करोड़ रु. आवंटित किये हैं जिसमें 6 करोड़ रु. "सोलर रुफ पॉवर जनरेशन योजना" के लिये हैं। लेकिन सड़क एवं पुल निर्माण के लिये बजट राशि गत वर्ष के संशोधित बजट में करीब 3717 करोड़ रु. थी जो इस वर्ष करीब 3760 करोड़ रु. प्रस्तावित की गयी है। परंतु सड़क एवं पुल निर्माण के लिये पूंजीगत बजट में तकरीबन 40 करोड़ रु. की कटौती की गयी है। इसी प्रकार ग्रामीण एवं शहरी जलापूर्ति के बजट में मामूली वृद्वि की गयी है।

उपरोक्त विवरण के आधार पर स्पष्ट होता है कि सरकार ने अपने अंतरिम बजट में सामाजिक क्षेत्र की स्थिति स्पष्ट नहीं की है जिसमें मुख्यतः सामाजिक पेंशन योजनाओं तथा अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं जैसे मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, निःशुल्क जांच योजना है। वहीं आर्थिक क्षेत्र के विशेषकर उर्जा के बजट में कटौती की गयी है जिससे राज्य का आर्थिक क्षेत्र प्रभावित होगा। अतः हम आशा करते हैं कि सरकार आगामी जून में पेश होने वाले पूर्ण बजट में विभिन्न सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रों के साथ पेयजल, सड़क एवं सौर उर्जा हेतु समुचित आवंटन करेगी तथा विभिन्न पेंशन योजनाओं के संबंध में अपनी स्थिति स्पष्ट करेगी।

राज्य बजट में ग्रामीण विकास हेतु आवंटन

राज्य सरकार द्वारा वर्तमान वर्ष 2014–15 के लिये कुल 1,12,955.06 करोड़ रू. की राशि के व्यय का अनुमान किया गया है। सरकार द्वारा राज्य में इस वर्ष ग्रामीण विकास के लिये कुल 6,556. 46 करोड़ रू. की राशि का आवंटन किया गया है, जिसमें ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम (2501), ग्राम रोजगार (2505), अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम (2515), अन्य क्षेत्र विशेष कार्यक्रम (2575), अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय (4515), अन्य क्षेत्र विशेष कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय (4575), मदों में आवंटित राशि को शामिल किया गया है।

पिछले वर्षों एवं वर्ष 2014–15 में ग्रामीण विकास हेतु आवंटन राशि करोड में

क्र.सं.	वर्ष	राज्य का कुल बजट	ग्रामीण विकास	प्रतिशत
1	2011–12 वास्तविक	65,372.08	4,016.46	6.14 %
2	2012–13 वास्तविक	81,263.91	5,468.64	6.73 %
3	2013–14 अनुमानित	94,871.95	5,507.91	5.81 %
4	2013–14 संशोधित	1,00348.93	6,077.88	6.06 %
5	2014–15 अनुमानित	1,12,955.06	6,556.46	5.80 %

स्रोत – बजट पुस्तकों के आधार

उपरोक्त सारणी के अध्ययन से स्पष्ट है कि ग्रामीण विकास के लिये पिछले वर्षों में राज्य बजट से 5 से 7 प्रतिशत के बीच राशि आवंटन होता रहा है। चालू वित्तीय वर्ष 2014–15 में ग्रामीण विकास के लिए कुल 6556.46 करोड़ रू. की राशि व्यय हेतु प्रस्तावित की गई है यह राशि राज्य के कुल बजट की लगभग 5.80 प्रतिशत है। राज्य सरकार पिछले तीन वर्षों में ग्रामीण विकास के बजट में निरंतर कमी करती आ रही है वर्ष 2013–14 में ग्रामीण विकास हेतु राज्य बजट से (अनुमानित बजट अनुसार) कुल 5.81 प्रतिशत लगभग 5,507.91 करोड़ रू. का आवंटन किया था लेकिन वर्ष 2013–14 के संशोधित बजट में ग्रामीण विकास के मद में आवंटित बजट से लगभग 570 करोड़ रू. अधिक का खर्च किया गया है। वर्ष 2012–13 में ग्रामीण विकास हेतु कुल राज्य बजट का 6.73 प्रतिशत राशि आवंटन किया गया था जिसे वर्तमान वर्ष में घटाकर 5.80 प्रतिशत कर दिया गया है।

पिछले तीन वर्षों में ग्रामीण विकास के लिए मुख्य शीर्षवार राशि आवंटन

राशि करोड़ में

क्र.सं.	मुख्य शीर्ष	मुख्य शीर्ष का विषय	2012–13 वास्तविक	2013–14 अनुमानित	2013–14 संशोधित	2014–15 अनुमानित	2014–15 का प्रतिशत
1	**2501**	ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	**77.12**	**66.10**	**64.05**	**101.00**	**1.54 %**
1.1		मरूस्थल विकास कार्यक्रम	2.17	0.00	1.40	0.00	
1.2		बंजर भूमि विकास (राज्यांश)	47.19	45.00	35.00	50.00	
1.3		स्वरोजगार कार्यक्रम (राज्यांश)	27.76	21.10	27.65	51.00	
2	**2505**	ग्राम रोजगार	**366.79**	**477.87**	**578.06**	**497.96**	**7.59 %**
2.1		राष्ट्रीय कार्यक्रम	100.79	128.00	178.12	148.10	
2.2		महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना	266.00	349.87	399.40	349.86	
3	**2515**	अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम	**4336.42**	**4195.64**	**4640.27**	**5191.19**	**79.18 %**
4	**2575**	अन्य क्षेत्र विशेष कार्यक्रम	**0.69**	**0.50**	**1.00**	**1.35**	**0.02 %**
4.1		पिछडे क्षेत्र (मेवात, डांग)	0.30	0.50	0.60	0.95	
4.2		सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम	0.39	0.00	0.40	0.40	
5	**4515**	अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय	**468.02**	**443.10**	**497.41**	**454.50**	**6.93 %**
6	**4575**	अन्य क्षेत्र विशेष कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय	**219.60**	**324.70**	**297.10**	**310.45**	**4.74 %**
6.1		डांग जिले	37.00	49.50	49.50	49.40	
6.2		पिछड़े क्षेत्र	45.00	110.00	110.00	109.65	
6.3		सीमा क्षेत्र विकास (केन्द्रीय सहायता)	137.60	165.20	137.60	151.40	
योग			**5,468.64**	**5,507.91**	**6,077.88**	**6,556.46**	**100 %**

स्रोत – बजट पुस्तकों के आधार

उपरोक्त सारणी के अध्ययन से पिछले तीन वर्षों में ग्रामीण विकास के लिये राज्य बजट से मुख्य शीर्षवार आवंटन को सहजता से समझा जा सकता है।

वर्ष 2013–14 में ग्रामीण विकास के बजट अनुमान की तुलना में संशोधित अनुमान में लगभग 570 करोड़ रू. की बढोत्तरी देखने में आई है यह राशि वर्ष 2013–14 के बजट अनुमान की 10.34 प्रतिशत है। सर्वाधिक बढोत्तरी की राशि अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम तथा ग्राम रोजगार मुख्य शीर्ष के अंतर्गत व्यय की गई है।

वर्ष 2014–15 में ग्रामीण विकास हेतु कुल 6556.46 करोड़ रू. का आवंटन किया गया है, इस कुल आवंटन का 1.54 प्रतिशत लगभग 101.00 करोड रू. ग्राम विकास के लिये विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत दिया गया है, जिसमें मरूस्थल विकास कार्यक्रम, बंजर भूमि विकास एवं स्वरोजगार कार्यक्रम को सम्मिलित किया गया है।

ग्राम रोजगार मद के अंतर्गत कुल बजट का 7.59 प्रतिशत लगभग 497.96 करोड़ रू. की राशि आवंटन किया गया है जिसमें राष्ट्रीय कार्यक्रम एवं महानरेगा योजना में दिया जा रहा राज्यांश शामिल है।

चालू वित्तीय वर्ष में ग्रामीण विकास के कुल बजट का सर्वाधिक 79.18 प्रतिशत लगभग 5191.19 करोड रू. का आवंटन अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम के अंतर्गत किया गया है जिसमें राज्य एवं केन्द्रीय वित्त आयोग, पंचायतों को निर्बन्ध राशि, ग्रामीण बीपीएल आवास, पिछड़ा जिला विकास कोष, सम्पूर्ण स्वच्छता कार्यक्रम जिला नवाचार कोष एवं मध्यान्ह भोजन जैसे कार्यक्रम आते हैं।

अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय के अंतर्गत कुल बजट की 6.93 प्रतिशत लगभग 454.50 करोड़ रू. की राशि जारी की गई है जिसमें पंचायती राज, सामुदायिक विकास, ग्राम विकास, अनुसूचित जातियों की विशिष्ट योजना एवं जनजातीय क्षेत्र उपयोजना की राशि को शामिल किया गया है।

अन्य क्षेत्र विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीण विकास के कुल बजट का केवल 0.02 प्रतिशत लगभग 1.35 करोड़ रू. का आवंटन किया गया है जिसमें मेवात, डांग एवं सीमा क्षेत्र विकास के कार्यक्रमों पर व्यय राशि को शामिल किया गया है।

अन्य क्षेत्र विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय के अंतर्गत कुल बजट का 4.74 प्रतिशत लगभग 310.45 करोड़ की राशि का आवंटन किया गया है जिसमें मेवात, डांग एवं सीमा क्षेत्र विकास के कार्यक्रमों पर पूंजीगत व्यय की राशि को सम्मिलित किया गया है।

राज्य बजट में पेंशन योजनाओं की स्थिति

वर्ष 2014–15 के राज्य बजट में वृद्धों, विधवा महिलाओं तथा विशेष योग्यजनों हेतु पेंशन योजनाओं के लिये राज्य सरकार ने कुल 3352.73 करोड़ रु. की राशि आवंटित की है। इन योजनाओं की राशि राज्य बजट में मुख्य शीर्ष 2235–सामाजिक सुरक्षा व कल्याण के अंतर्गत आवंटित की जाती है तथा इन योजनाओं का क्रियान्वयन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से किया जाता है। गतवर्ष अपने बजट भाषण में श्री अशोक गहलोत ने राज्य की वृद्धावस्था तथा विधवा पेंशन योजना के अंतर्गत पेंशन पात्रता हेतु लाभार्थियों के परिवार में 25 वर्ष या इससे अधिक उम्र के सदस्य नहीं होने की शर्त को समाप्त करने की घोषणा की थी।

उक्त पेंशन योजनाओं के लाभार्थियों की संख्या (लाख में) :

	वृद्धावस्था पेन्शन	विधवा पेन्शन	निःशक्त पेन्शन	कुल
31 मार्च 2014	45.91	7.66	3.57	57.15
15 जून 2013	–	–	–	40.43
31 मार्च 2013	8.71	4.04	1.64	14.40

स्रोतः बजट पुस्तकों के आधार पर

पेंशन योजनाओं हेतु बजट

राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2012–13 में उक्त पेंशन योजनाओं पर कुल 880.6 करोड़ रू. की राशि खर्च की गई जिसमें वृद्धावस्था पेंशन पर 554 करोड़, विधवा पेंशन के लिये 235 करोड़ तथा निशक्त पेंशन हेतू 91.6 करोड़ की राशि खर्च की गई। ध्यान रहे कि 31 मार्च 2013 तक वृद्धावस्था, विधवा एवं निःशक्त पेंशन योजनाओं के कुल लाभार्थीयों की संख्या 14.40 लाख थी लेकिन 20 अप्रेल से 15 जून 2013 तक लगाये गये पेंशन शिविरों से लाभार्थीयों की संख्या 15 जून 2013 तक बढकर 40.43 लाख एवं 31 मार्च 2014 तक कुल लाभार्थीयों की संख्या बढकर 57.15 लाख हो गयी।

पिछले तीन वर्षों में पेंशन योजना मद में आवंटित राशि का विवरण निम्न प्रकार है:

पेंशन योजनाओं पर व्यय (राशि करोड़ में)

शीर्ष	लेखा शीर्ष	2012-13 (आय–व्यय अनुमान)	2012-13 (संशोधित अनुमान)	2012-13 (लेखे)	2013-14 (आय–व्यय अनुमान)	2013-2014 (संशोधित अनुमान)	2014-15 (आय–व्यय अनुमान)
2235–196–(01)	[01] वृद्धावस्था पेंशन	310	350	366	400	1980	2400
	[05] इंदिरा गांधी वृद्धावस्था पेंशन	97	116	118	130.87	148.86	160.04
	[08] अनुसूचित जातियों के लिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन	36	39	32	44.63	39.99	54.54
	[11] अनुसूचित जनजातियों के लिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन	33.8	44	38	51.21	51.50	76.17
	वृद्धावस्था पेंशन का योगः	**476.8**	**549**	**554**	**626.71**	**2220.35**	**2690.75**
	[03] विधवा पेंशन	191	200	206	220	380	400
	[06] इंदिरा गांधी विधवा पेंशन	13	29	19	38.26	25.86	28.78
	[09] अनुसूचित जातियों के लिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन	5.4	8	6	11.72	9.16	10.74
	[12] अनुसूचित जनजातियों के लिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन	4	9	4	13.12	7.94	11.96
	विधवा पेंशन का योगः	**213.4**	**246**	**235**	**273.1**	**422.96**	**451.48**
	[02] मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना	70	87	87	90	180	200
	[07] इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निशक्त पेंशन	2	4	3	9	5	6
	[10] अनुसूचित जातियों के लिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निशक्त पेंशन	0.7	1	1	2	1	2
	[13] अनुसूचित जनजातियों के लिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निशक्त पेंशन	4	9	0.6	2	1	2.5
	विशेष योग्यजन पेंशन का योगः	**76.7**	**101**	**91.6**	**103**	**187**	**210.5**
	योग	**766.9**	**896**	**880.6**	**1012.81**	**2830.31**	**3352.73**

स्रोतः बार्क द्वारा जेण्डर बजट 2012–13, 2013–14 तथा 2014–15 के विश्लेषण पर आधारित

पिछले मुख्यमंत्री जी ने अपने बजट भाषण में कहा था कि पेंशन योजनाओं में विस्तार के कारण राज्य सरकार पर प्रतिवर्ष लगभग 1 हजार 500 करोड़ के अतिरिक्त भार पड़ने की संभावना है। परन्तु 2013–14 के राज्य बजट में इस मद के आवंटन में कोई विशेष बढ़ोतरी नहीं की गई। गहलोत सरकार ने वृद्धों, विधवा महिलाओं तथा विशेष योग्यजनों के कल्याण के लिये राज्य बजट 2013–14 में कुल 1012.81 करोड़ रू. का प्रवधान रखा जो वर्ष 2012–13 की अपेक्षा मात्र 245.91 करोड़ ही ज्यादा था। कुल आवंटन में से वृद्धावस्था पेंशन पर 626 करोड, विधवा पेंशन के लिये 273.1 करोड तथा निशक्त पेंशन हेतू 103 करोड़ की राशि रखी गई। जैसा की उक्त योजनायें व्यक्तिगत लाभ की योजनायें हैं अतः राज्य बजट में आवंटन पर्याप्त ना होने से योजनाओं के अंतर्गत व्यय पर फर्क नहीं पड़ता क्योंकि जिन पेंशन आवेदनों को स्वीकृत किया जा चुका है उनका भुगतान किया जाना आवश्यक है तथा आवंटन के अतिरिक्त हुये व्यय की शेष राशि को संशोधित अनुमान में दर्ज किया जा सकता है। जैसा की हमने देखा कि इस वर्ष फरवरी में हुई विधानसभा बैठक में नई सरकार द्वारा पेश किये गए अंतरिम राज्य बजट 2014–15 तथा संशोधित अनुमान 2013–14 में तीनों पेंशन पर आवंटित राशि में काफी बढ़ोतरी की गई।

वर्तमान वित्तीय वर्ष के बजट अनुमान में वृद्धावस्था पेंशन के लिये 2690.75 करोड़, विधवा पेंशन के लिये 451.48 करोड तथा निशक्त पेंशन हेतू 210.5 करोड़ की राशि आवंटित की गई है। क्योंकि यह सरकार का सम्पूर्ण बजट नहीं है इसलिये राज्य की मुख्यमंत्री तथा वित्त मंत्री वसुन्धरा राजे ने इस वर्ष जुलाई तक के लिये राजस्थान विनियोग (लेखानुदान) (सं. 2) विधेयक, 2014 के ज़रीये विधानसभा बैठक में लेखानुदान की माँग की। इसमें माँग संख्या– 33, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण में मुख्यशीर्ष 2235–सामाजिक सुरक्षा व कल्याण के अंतर्गत लेखानुदान की आवश्यक राशि 1219.84 करोड़ है।

उपरोक्त पेंशन योजनाओं के बजट में हांलाकि सरकार ने वृद्वि की है लेकिन यदि देखा जाये तो पेंशन योजनाओं के लिये आवंटित कुल बजट 3352.73 करोड़ रू. राज्य के कुल खर्च 112955.06 करोड़ रू. का केवल 2.96 प्रतिशत ही है। इसके साथ ही हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि इन पेंशन योजनाओं के माध्यम से खर्च की जा रही राशि समाज के एक कमजोर तबके के लिये अत्यंत आवश्यक है। हमें आशा है कि सरकार आगामी वर्षों मे इन पेंशन योजनाओं को और मजबूती से लागू करने के प्रयास करेगी।

पृष्ठ 1 का शेष – बजट 2014–15 में अनुसचित जाति एवं जनजाति उपयोजना

चुंकि राज्य की कुल आबादी में दलित एवं आदिवासियों का प्रतिशत, 2001 जनगणना के अनुसार क्रमशः 17.16 एवं 12.56 प्रतिशत है। हालांकि 2011 की जनगणना में यह प्रतिशत बढकर क्रमशः 17.8 एवं 13.5 प्रतिशत हो गया है। अतः राज्य सरकार को अपने आयोजना बजट का कम से कम इनकी आबादी के अनुपात में आवंटन करना चाहिये। लेकिन उपयोजनाओं के लागू होने 35 के वर्षों से अधिक समय बीत जाने के बावजूद भी दोनों उपयोजनाओं में मानदंड से बहुत ही कम राशि आवंटित एवं व्यय की जा रही है।

केन्द्रीय बजट में उपयोजनाऐं

17 फरवरी, 2014 को केन्द्र सरकार ने देश का बजट पेश किया जिसमें भी दोनो उपयोजनाओं को कुल आवंटन मानदंड से काफी कम है। वर्ष 2014–15 के बजट में अनुसूचित जनजाति उपयोजना को कुल केन्द्रीय आयोजना का 6.6 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति उपयोजना कुल केन्द्रीय बजट का 10.46 प्रतिशत आवंटित किया गया है, जो क्रमशः 8 प्रतिशत तथा 16 प्रतिशत होना चाहिये।

अनुसूचित जाति एवं जनजाति उपयोजनाओं का बजट :

(राशि करोड़ में)

वित्तिय वर्ष	राज्य का कुल आयोजना व्यय	अनुसूचित जाति उपयोजना बजट	जनजाति उपयोजना बजट
2007–08 वास्तविक	10987.37	253.38 (2.31)	423.76 (3.86)
2008–09 वास्तविक	12190.10	381.80 (3.13)	384.54 (3.15)
2009–10 वास्तविक	12568.73	342.19 (2.72)	367.30 (2.92)
2010–11 वास्तविक	14172.46	655.27 (4.58)	729.10 (5.14)
2011–12 संशोधित	22796.13	1786.50 (7.84)	1631.68 (7.16)
2011–12 वास्तविक	20569.50	1568.95 (7.63)	1312.34 (6.38)
2012–13 प्रस्तावित	23828.49	2284.13 (9.59)	1955.87 (8.21)
2012–13 संशोधित	29580.64	2398.21 (8.11)	2112.00 (7.14)
2013–14 प्रस्तावित	31516.27	3091.27 (9.8)	2770.39 (8.8)
2012–13 वास्तविक	27159.27	2232.49 (8.22)	1826.59 (6.73)
2013–14 संशोधित	35068.00	3431.61 (9.8)	2959.52 (8.44)
2014–15 प्रस्तावित	39375.29	4293.47 (10.9)	3695.73 (9.39)

स्रोत : बजट पुस्तिका, वित्त विभाग के आंकड़ों के आधार पर

नोट : ( ) कोष्टक में राज्य के कुल योजनागत बजट में जनजाति उपयोजना के बजट का प्रतिशत दर्शाया गया है।

उपरोक्त तालिका के अनुसार जनजाति उपयोजना हेतु सभी विभागों में कुल लगभग 3695.7 करोड़ रु. प्रस्तावित किये गये हैं, जो राज्य के आयोजना बजट का करीब 9.4 प्रतिशत है। इसी प्रकार अनुसूचित जाति उपयोजना में सभी विभागों को कुल करीब 4293 करोड़ रु. आवंटित किये गये हैं, जो राज्य के आयोजना बजट के 10.9 प्रतिशत के करीब है। अगर विगत 3–4 वर्षों के आंकड़ों पर गौर करें तो दोनों उपयोजनाओं का आवंटन कुछ बढा है। फिर भी यह आवंटन मानदंड से बहुत कम है एवं उपयोजनाओं में मानदंड से बहुत ही कम आवंटन से राज्य के दलित एवं आदिवासी करोड़ों रु. की विकास योजनाओं से वंचित हो रहे हैं।

अतः राज्य में दोनों उपयोजनाओं के व्यवस्थित क्रियांवयन हेतु सरकार को इस संबंध में राज्य, जिला एवं इससे निचले स्तरों पर निगरानी की मजबूत व्यवस्था करनी चाहिये। अनुसूचित जाति एवं जनजाति उपयोजना बजट को इनकी आबादी के अनुपात में सुनिश्चित करने हेतु वर्तमान राज्य सरकार को पिछली राज्य सरकार द्वारा निर्मित विधेयक पर अमल करना चाहिये।

पृष्ठ 2 का शेष : पंचायतों का राज्य बजट में हिस्सा

कुल आवंटन में से 15.96 प्रतिशत, लगभग 3281.98 करोड़ रूपए व्यय हेतु दिये गए हैं। इसके अतिरिक्त विशिष्ट मद में कुल आवंटन की 8.61 प्रतिशत, लगभग 1771.39 करोड रू. की राशि पंचायतों को जारी की गई है विशिष्ट मद में आवंटित राशि तीनों स्तरों की पंचायतों को देय है।

इस लेख में हमने पंचायतों को राज्य बजट से आवंटित राशि का प्रारंभिक विश्लेषण प्रस्तुत किया है, जिसमें राज्य बजट से पंचायतों को कुल आवंटन, लघु शीर्षवार राशि विवरण एवं तीनों स्तरों की पंचायतों के मध्य कुल राशि का वितरण की जानकारी दी गई है। बजट समाचार के अगले अंकों में हम अपने विश्लेषण को और सूक्ष्म करने का प्रयास करेंगे तथा पंचायतों के कुल आवंटन में बंधन सहित/बंधन मुक्त (टाईड/अनटाईड) की राशि, करों से आय की तुलना में पंचायतों को आवंटन एवं पंचायतों को वित्त आयोगों से प्राप्त राशि का अलग अलग विवरण देने का प्रयास किया जायेगा।

संपादक – नेसार अहमद
संपादक मण्डल – महेन्द्र सिंह राव
– भूपेन्द्र कौशिक
– बरखा माथुर
– मंजूर खान
सहयोग – अंकुश वर्मा
सलाहकार – डॉ जिनी श्रीवास्तव

विभिन्न विभागों की बजट सम्बन्धी विस्तृत जानकारी एवं बजट समाचार के लिए आप हमसे निम्न पते पर सम्पर्क कर सकते हैं :-

बजट अध्ययन राजस्थान केन्द्र
पी–1, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर
फोन/फैक्स : (0141) 238 5254
E-mail : info@barcjaipur.org website : www.barcjaipur.org

अंतरिम जेण्डर बजट में योजना खर्च में वृद्धि

जेण्डर संवेदी बजट, जेण्डर बजट, महिला बजट, जेण्डर संवेदनशील बजट आदि के नाम से भी जाना जाता है। बजट में जेण्डर बजट के अंतर्गत यह देखने का प्रयास किया जाता है कि बजट में सरकार की प्राथमिकताऐं क्या हैं तथा सरकारी खर्चों का प्रभाव महिलाओं एवं पुरूषों तथा लड़कों एवं लड़कियों पर कैसा होता है। जेण्डर बजट विवरण, जेण्डर संवेदी बजट का एक औजार है जो यह बताता है कि सरकार के कुल खर्चे का कितना हिस्सा महिला सशक्तिकरण तथा जेण्डर समानता पर खर्च हो रहा है।

राजस्थान में वर्ष 2009 में महिला एवं बाल विकास विभाग में जेण्डर बजट सेल की स्थापना की गई, जिसका मुख्य उद्देश्य राज्य में जेण्डर बजट की प्रकिया को आगे बढ़ाना था। जेण्डर बजट की प्रकिया के क्रियान्वयन के लिए जेण्डर बजट सेल ने सभी विभागों द्वारा जेण्डर बजट विवरण बनाने के लिये एक प्रारूप तैयार किया। राजस्थान में वर्ष 2012–13 के बजट में राज्य सरकार ने पहली बार जेण्डर बजट विवरण जारी किया जिसमें सरकारी कार्यक्रमों को निम्नानुसार श्रेणी प्रदान की गई।

जेण्डर बजट विवरण में कार्यक्रमों को श्रेणी देने का आधार

श्रेणी	महिला लाभार्थियों का प्रतिशत
A	>70%
B	70% - 30%
C	30%- 10%
D	<10%

जेण्डर बजट विवरण महिला लाभार्थियों पर हो रहे खर्च के अनुपात पर आधारित है तथा राज्य सरकार द्वारा इसे चार श्रेणियाँ (A, B, C, D) के आधार पर विभक्त किया गया था। जिसमें कार्यक्रमों/योजनाओं को श्रेणी नहीं देकर कार्यक्रमों/योजनाओं के गैर योजना, योजना तथा केन्द्र प्रवर्तित योजना खर्च के आधार पर श्रेणी दी गई है।

इस वर्ष फरवरी में वर्ष 2014–15 हेतु पेश किये गए अंतरिम बजट में पिछले वर्ष के जेण्डर बजट की ही तरह फिर से मुख्य शीर्षवार या विभागवार जानकारी ना देकर बजट फाइनलाइजेशन कोमिटी (बी.एफ.सी) वार सूचना दी गयी है। जिसे जेण्डर बजट की दृष्टि से खास उपयोगी या सूचना प्रदत्त नहीं कहा जा सकता। हांलाकि यह सरकार का सम्पूर्ण बजट नहीं है इसलिये जेण्डर बजट की प्रक्रिया में बदलाव की उम्मीद नहीं की जा सकती थी। परंतु राज्य के कुल बजट में जेण्डर घटक में कुछ बदलाव लाये गये हैं। 2014–15 में राज्य के कुल बजट में योजना खर्च के जेण्डर घटक में लगभग 4% तक की वृद्धि हुई है जबकि गैर योजनागत एवं केंद्र प्रायोजित योजना खर्च के जेण्डर घटक के खर्च में वर्ष 2013–14 की तुलना में कमी आयी है।

राज्य के कुल बजट में जेण्डर घटक का प्रतिशत

वर्ष	गैर योजना खर्च	योजना खर्च	केन्द्र प्रायोजित योजना खर्च
2012–13	19.14	32.97	50.82
2013–14	19.94	35.24	54.33
2014–15	18.62	38.99	46.18

स्रोतः जेण्डर बजट विवरण 2012–13, 2013–14 तथा 2014–15

वित्तीय वर्ष 2014–15 के दौरान महिलाओं के कल्याण के लिये निश्चित की गयी योजनाओं एवं उन पर किये जाने वाले खर्च के बारे में इस बजट से कुछ निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है। जैसा कि शुरू में जिक्र किया गया है जेण्डर बजट में सूचना ना तो मुख्य शीर्षवार दी गयी है ना ही विभागवार बल्कि बी.एफ.सी वार दी गयी है। अतः इस कारण योजनाओं को कोई एक श्रेणी नहीं दी गयी है एवं किसी योजना के बारे में कुछ निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता।

पिछले तीन वर्षों के जेण्डर बजट विवरण में योजनाओं/कार्यक्रमों का वर्गीकरण

वर्ष 2013–2014 के जेण्डर बजट विवरण के अनुसार जेण्डर बजट के गैर योजना खर्च में 372 योजनाओं को सम्मिलित किया गया था जो कि वर्ष 2012–13 की तुलना में 144 ज्यादा था परन्तु इस वर्ष इन योजनाओं को घटा कर 351 किया गया है। वहीं योजना खर्च में सम्मिलित योजनाओं की संख्या में पिछले दो वषों से बढ़ोतरी देखी गयी है। परन्तु केंद्र प्रवर्तित योजना खर्च में भी गैर योजना खर्च की भांती योजनाओं की संख्या में पहले बढ़ोतरी फिर कमी देखी गयी है। वर्ष 2013–14 में केंद्र प्रवर्तित योजना खर्च में सम्मिलित योजनाओं की संख्या 83 (वर्ष 2012–13) से बढ़ाकर 139 की गयी। लेकिन इस वर्ष, गत वर्ष के 139 से घटाकर 110 कर दी गयी है।

मद	योजनाएँ/कार्यक्रम			
	2012–13	2013–2014	2014–15	कुल
गैर योजना	228	372	351	951
योजना	597	676	725	1998
केंद्र प्रवर्तित योजना	83	139	110	332
कुल	908	1187	1186	3281

पिछले तीन वर्षों में जारी किये जेण्डर बजट विवरण को देखकर यह कहा जा सकता है कि यह अत्यन्त अव्यवस्थित है तथा जेण्डर संवेदी आयोजनाओं एवं बजट के लिये खास लाभदायक नहीं है। सरकार के आने वाले पूर्ण बजट में जेण्डर बजट विवरण के स्वरूप में बदलाव की आशा की जा सकती है। जेण्डर बजट विवरण में सूचना मुख्य शीर्षवार या विभागवार होनी चाहिये साथ ही राज्य में बजट एवं नीति निर्माण को जेण्डर संवेदी बनाने के लिये सभी विभागों को अपनी गतिविधियों के जेण्डर प्रभावों का अध्ययन करना चाहिये। पिछली राज्य योजना समिति ने जेण्डर बजट पर एक समिति बनायी थी जिसकी रिर्पोट लगभग तैयार हो चुकी थी। उस समिति के साथ कुछ और समूहों ने भी जेण्डर बजट पर सुझाव रखे थे। उन सुझावों को भी जेण्डर बजट विवरण में शामिल किया जाना चाहिये।

सेवा में, बुक पोस्ट

श्रीमान/श्रीमती.....

.....

..... पिन कोड.....